MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur - 245304 (U.P.)

Ref. No.: MU/Reg./Cir/011/2020 **Dated:** 23.11.2020

विद्यार्थियों के लिये अति आवश्यक दिशा–निर्देश कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में

जैसा कि आपको विगत है कि 23 नवम्बर, 2020 से विश्वविद्यालय में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः आरम्भ किया जा चुका है। कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को भौतिक रूप से पठन–पाठन का कार्य सुरक्षित तरीके से कराये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किया जा रहें, जिनका पालन किया जाना पूर्ण रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है:–

1. यह कि विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश से पूर्व सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को अपनी थर्मल स्क्रिनिंग एवं हैण्ड सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा।
2. यह कि विश्वविद्यालय परिसर में सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिग का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. यह कि विश्वविद्यालय परिसर में सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को फेस मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
4. यह कि विश्वविद्यालय परिसर में सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी अपने साथ सेनेटाइजर (50ml) एवं एक लीटर पीने के पानी की बोतल (पारदर्शी) लाना अनिवार्य होगा।
5. यह कि समस्त विद्यार्थियों को भौतिक रूप से पठन–पाठन के लिये अपने माता/पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति पत्र का लाना अनिवार्य होगा। जिसका प्रारूप विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट www.monad.edu.in पर भी उपलब्ध है।

MONAD UNIVERSITY Registrar HAPUR U.P.

संलग्नक:– अनुमति–पत्र का प्रारूप।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:–

1. माननीय कुलपति कार्यालय को अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. छात्र कल्याण अधिष्ठाता।
6. समस्त शिक्षकगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आई०टी० विभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव

कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में

माता/पिता/अभिभावक द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किया गया अनुमति–पत्र

यह कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... निवासी .... मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है। मैंने कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये गये सभी दिशा–निर्देशों को भलि–भांति पढ़ लिया है तथा मैं इस महामारी के प्रभाव से भी पूर्णत भलि–भांति परिचित हूँ। मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र/पुत्री को विश्वविद्यालय में भौतिक रूप से पठन–पाठन हेतु शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ। साथ ही यह निर्देश भी देता/देती हूँ कि वह इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में स्वयं भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से पूर्णतः पालन करे।

माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर